रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2016/माघ 8, 1937
No. 64] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2016/MAGHA 8 , 1937

IndiaCode

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 117(अ).—केंद्रीय सरकार, योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 का 37) की धारा 37 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना और वास्तुकला विद्यालय (परिषद् की बैठक की प्रक्रिया और सदस्यों को भत्तों का संदाय) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 का 37) अभिप्रेत है ;

(ख) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) "सदस्य सचिव" से परिषद् का सदस्य सचिव अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं ।

3. **बैठकें और कार्य संचालन की रीति.**—(1) परिषद् अपने कार्य के संव्यवहार में जब भी आवश्यक हो, किंतु एक कलैन्डर वर्ष में कम से कम एक बार, बैठक करेगी ।

(2) परिषद् की बैठकें, परिषद् के अध्यक्ष द्वारा, स्वप्रेरणा से या सदस्य सचिव के अनुरोध पर या परिषद् के कम से कम दस सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यावेदन पर बुलाई जाएंगी ।

(3) परिषद् के आधे सदस्यों से परिषद् की किसी बैठक की गणपूर्ति होगी ।

(4) सदस्य सचिव, प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना, बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को भेजेगा, जिसमें बैठक का स्थान, तारीख और समय उल्लिखित होगा :

परंतु अध्यक्ष, अत्यावश्क मुद्दों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर विशेष बैठक बुला सकेगा ।

(5) बैठक की सूचना, परिषद् के कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध प्रत्येक सदस्य के पते पर या तो दस्ती द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी और यदि ऐसे भेजी जाती है तो, उसे उस समय पर, जिस पर सूचना साधारण डाक से भेजी जाती, सम्यक् रूप से दी गई सूचना समझा जाएगा :

परंतु सूचना अनुप्रति, इलैक्ट्रानिक मेल या संक्षिप्त संदेश सेवा (एस.एम.एस.) द्वारा भी भेजी जा सकेगी ।

(6) सदस्य सचिव द्वारा किसी बैठक के लिए कार्यसूची का परिचालन किसी बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व किया जाएगा ।

(7) सदस्य सचिव को, कार्यसूची में किसी मद को जोड़ने के लिए प्रस्ताव की सूचना, बैठक होने के कम से कम तीन दिन पहले दी जाएगी :

परंतु, तथापि, परिषद् का अध्यक्ष, किसी ऐसी मद को जोड़े जाने की अनुज्ञा दे सकेगा, जिसके लिए सम्यक् सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(8) प्रक्रिया संबंधी सभी प्रश्नों के संबंध में परिषद् के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(9) सदस्य सचिव द्वारा परिषद् की बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त अभिलिखित किया जाएगा और परिषद् के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा ।

(10) किसी संशोधन के साथ कार्यवृत्त, परिषद् की पुष्टि के लिए उसकी आगामी बैठक में रखा जाएगा ।

(11) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि करने और उस पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् उसे कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा, जो कार्यालय समय के दौरान सभी समयों पर परिषद् के सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी और कार्यवृत्त को उसके अभिलिखित किए जाने की तारीख से तीन दिन के भीतर परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ।

(12) परिषद् की बैठक में विचार किए जाने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के, जिसके अंतर्गत परिषद् का अध्यक्ष भी है, बहुमत द्वारा किया जाएगा :

परंतु यदि मत बराबर विभाजित रहते हैं, तो अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा ।

4. यात्रा और अन्य भत्ते.—(1) अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट परिषद् के सदस्यों के यात्रा भत्ते भारत सरकार के समतुल्य ग्रेड के समूह 'क' अधिकारियों को लागू नियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

(2) अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिषद् के सदस्य ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे, जो उन्हें भारत सरकार द्वारा स्थापित समितियों और आयोग में नियुक्त संसद् सदस्यों के रूप में अनुज्ञेय हैं ।

(3) अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ग), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ), खंड (ढ), खंड (ण) और खंड (त) में निर्दिष्ट परिषद् के सदस्य ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे, जो उनके नियोजक निकायों के नियमों के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

(4) सदस्य अपने संगठन से, जिसके वे हैं, यात्रा और दैनिक भत्तों का दावा करने के हकदार होंगे ।

[फा. सं. 3-11/2015-टी.एस. VI]

एस पी गोयल, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2016

G.S.R. 117(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 37 of the School of Planning and Architecture Act, 2014 (37 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the School of Planning and Architecture (Procedure of Meeting of Council and Payment of Allowances to Members) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—(1) ln these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the School of Planning and Architecture Act, 2014 (37 of 2014);

(b) "Council" means the Council established under sub-section (1) of section 33 of the Act;

(c) "Member Secretary" means the Member Secretary of the Council;

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The meetings and the manner of conducting business.—(1) The Council shall meet as often as may be necessary to transact its business but at least once during a calendar year.

(2) The meetings of the Council shall be convened by the Chairperson of the Council *suo-moto* or at the request of the Member Secretary or on a requisition signed by not less than ten members of the Council.

(3) Half of the members of the Council shall form a quorum for a meeting of the Council.

(4) The Member Secretary shall send a written notice of every meeting to every member at least fifteen days before the date of the meeting mentioning therein the place, date and time of the meeting:

Provided that the Chairperson may call a special meeting of the Council at short notice to consider urgent issues.

(5) The notice of a meeting shall be delivered either by hand or sent by registered or speed post at the address of each member available in the office record of the Council and if so, sent, shall be deemed to be duly delivered at the time at which notice would be delivered in the ordinary course of post:

Provided that the notice may also be sent through facsimile, electronic mail or short message service.

(6) The agenda for a meeting shall be circulated by the Member Secretary to the members at least seven days before a meeting.

(7) The notices of motions for inclusion of any item in the agenda shall reach the Member Secretary at least three days before the meeting:

Provided that the Chairperson of the Council may, however, permit inclusion of any item for which due notice has not been received.

(8) The decision of the Chairperson of the Council in regard to all questions of procedure shall be final.

IndiaCode

(9) The minutes of the proceedings of a meeting of the Council shall be recorded by the Member Secretary and circulated to all the members of the Council.

(10) The minutes, together with any amendment, shall be placed for confirmation of the Council at its next meeting.

(11) After the minutes are confirmed and signed by the Chairperson of the Council, they shall be recorded in a minute book which shall be kept open for inspection of the members of the Council at all times during the office hours and also the minutes shall be uploaded on the website of the Council within three days from the date it is recorded.

(12) All questions considered at the meeting of the Council, shall be decided by a majority of the votes of the members present including the Chairperson of the Council:

Provided that if the votes are equally divided, the Chairperson of the Council shall have a second or casting vote.

4. Travelling and other allowances.—(1) The travelling allowances of the Members of the Council referred to in clauses (d) and (m) of sub-section (2) of section 33 of the Act shall be regulated as per the rules applicable to Group 'A' Officers of the equivalent Grade in the Government of India.

(2) The members of the Council referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 33 of the Act shall be entitled to such travelling and daily allowances as are admissible to them as Members of Parliament appointed to Committees and Commissions set up by the Government of India.

(3) The Members of the Council referred to in clauses (a), (c), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (n), (o) and (p) of sub-section (2) of section 33 of the Act shall be entitled to such travelling and daily allowances as are admissible to them under the rules of their employing bodies.

(4) The Members shall claim their travelling and daily allowances from their respective organizations to which they belong.

[F. No. 3-11/2015-TS.VI]

S. P. GOYAL, Jt. Secy.

indiacode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.